

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<i>Recommended for approval</i> 
----	---	--

दिनांक:— २५/१८
स्थान Lucknow

हस्ताक्षर
नाम

डॉ प्रशान्त कुमार शर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
सरकारी सोहर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980,
उप्र०, लखनऊ